संख्या 759/**III**(1)/12–70(अधि0)/05

प्रे ाक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड ासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 09 अगस्त 2012

वि ाय:– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता स्तर–2 एवं अधीक्षण अभियन्ता/वृत्तीय कार्यालय के लिए अस्थाई निःसंवर्गीय पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड ासन के ासनादेश संख्या 1253/III(1)/06–190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.07.06, ासनादेश संख्या 1053/III (1)/07–70(अधि0)/05 दिनांक 19.07.07 एवं ासनादेश संख्या 1768/III(1)/ 11–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.12.11 के द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तकनीकी पदों का संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया हैं।

वर्तमान में पी0एम0जी0एस0वाई0 की योजनाओं से संबंधित कार्य गतिमान है। पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण एवं त्वरित गति से सम्पादित किये जाने के लिए मुख्य अभियन्ता स्तर–2 (पी0एम0जी0एस0वाई0) का 01 निःसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 ग्रेड पे रू0 8900 तथा वृत्त/अधीक्षण अभियन्ता के 02 निसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3, रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600 में ासनादेश निर्गत करने की तिथि से दिनांक 28.02.13 तक के लिए बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सह ा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पी0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यों की परियोजना अवधि तक ही रहेंगे और दिनांक 28 फरवरी के बाद पदों की उपादेयता स्प ट कर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर अग्रेत्तर निरन्तरता निर्गत की जायेगी।

3. उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा ासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार अनुमन्य मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

4. सृजित मुख्य अभियन्ता स्तर–2 का मुख्यालय देहरादून में स्थापित होगा तथा अधीक्षण अभियन्ता/वृत्त कार्यालय का मुख्यालय निम्न प्रकार से होंगेः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (निःसंवर्गीय) मसूरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (निःसंवर्गीय) अल्मोड़ा।

5. उक्तानुसार 02 नये वृत्तों की स्थापना के उपरान्त कुल संचालित 04 वृत्तों के अन्तर्गत निम्नवत् जिले रखे जायेंगे:–

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	वृत्त का नाम	वृत्त का मुख्यालय	वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जनपद
1	2	3	4	5
1	गढ़वाल मण्डल	श्रीनगर	श्रीनगर	1– नि0ख0, लो0नि0वि0, पोखरी 2– ग्रा0अ0से0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग 4– सिं0ख0 लो0नि0वि0, श्रीनगर 5– सिं0ख0 लो0नि0वि0, कोटद्वार 7– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, कोटद्वार
2		मसूरी	मसूरी	1– सिं0ख0–1, लो0नि0वि0, टिहरी 2– सिं0ख0–2, लो0नि0वि0, टिहरी 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी 4– नि0ख0, लो0नि0वि0, कालसी 5– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी
3	कुमांऊ मण्डल	ज्योलिकोट	ज्योलिकोट	1– नि0ख0, लो0नि0वि0, सल्ट 2– सिं0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल 4– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, नैनताल 5– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा
4		अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	1– सिं0ख0, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ 2– सिं0ख0, लो0नि0वि0, बागेश्वर 3– सिं0ख0, लो0नि0वि0,चम्पावत 4– ग्रा0अ0से0, लो0नि0वि0, कपकोट 5– ग्रा0अ0से0, लो0नि0वि0, डीडीहाट 6– पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़

6. उपरोक्त सृजन होने वाले वृत्तों में मितव्ययता के दृटिगत कार्यालयी स्टाफ/अन्य अधिकारियों की व्यवस्था लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में स्वीकृत स्टाफ से समायोजन द्वारा ही की जायेगी।

7. वृत्तीय कार्यालयों के मुख्यालय हेतु कार्यालयी भवन व अन्य व्यवस्था विभाग द्वारा अनुमन्यता के अनुसार नियमानुसार की जायेगी।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 492/XXVII(2)/2012 दिनांक 08.08.12 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या 759/III(1)/12–70(अधि0)/05 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेि ित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड ासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/ कुमांऊ मण्डल।
4. निदेशक, को ागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं।
9. समस्त वरि ठ को ाधिकारी/को ाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड ासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड ासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव